रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

क्र. / कु.स. / 2020 / कुलपति कार्यालय / 205 जबलपुर, दिनांकः 13 / 09 / 2020

कार्यालयीन आदेश

विश्वविद्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी कोरोना पाजिटिव एवं एक कर्मचारी के कोरोना संदिग्ध होने पर विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं कर्मचारियों की मांगों पर शिक्षकों / अधिकारियों / कर्मचारियों एवं इनके परिजनों के कोरोना संक्रमण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये विश्वविद्यालय दिनांक 14, 15 एवं 16 सितम्बर 2020 को आंशिक रूप से बन्द रहेगा। कोरोना संक्रमण के बचाव की दृष्टि से निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन अनिवार्य किया जाता है–

1. परीक्षाओं के संचालन की अनिवार्यता को देखते हुये विश्वविद्यालय के गोपनीय एवं ऑनलाईन सेल में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी आवश्यतानुसार अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे।
2. शेष अन्य विभागों के समस्त कर्मचारी "वर्क फ्रॉम होम" के माध्यम से कार्य सम्पादित करेंगे एवं आवश्यक होने पर उन्हें विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर कार्य सम्पादित करना होगा।
3. अध्ययनशालाओं में प्रवेश प्रक्रिया एवं सी.बी.सी.एस. प्रणाली की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुये विभागाध्यक्ष यथासंभव ऑनलाईन के माध्यम से प्रक्रिया सम्पन्न करायेंगे एवं आवश्यकता होने पर विभाग में उपस्थित होकर कार्य सम्पादित करेंगे।
4. विश्वविद्यालय के सभी गेट बन्द रहेंगे और किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा।
5. संक्रमित व्यक्ति तथा उनके परिवार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति अपने घर में क्वारंटाइन रहेंगे। आने वाले दिनों में परिवार के किसी सदस्य तथा परिवार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति में कोरोना के कोई लक्षण दिखाई दे तो वे तत्काल विश्वविद्यालय स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क कर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करावेंगे।
6. विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि म.प्र. शासन एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा कोविड–19 को दृष्टिगत रखते हुये जारी निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करेंगे।

आदेशानुसार,

प्रभारी कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

पृ.क्र. / कु.स. / 2020 / कुलपति कार्यालय / 205 'अ' जबलपुर, दिनांकः 13 / 09 / 2020

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु</u> –

1. कलेक्टर, जिला–जबलपुर (म.प्र.)।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला–जबलपुर (म.प्र.)।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर संभाग, जबलपुर (म.प्र.)।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, शिक्षण विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)।
5. समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी. प्रकोष्ठ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)।
6. परीक्षा नियंत्रक / वित्त नियंत्रक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)।
7. प्रभारी जनसम्पर्क प्रकोष्ठ / मीडिया, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सेन्टर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)।
9. प्रभारी, सफाई एवं सुरक्षा को इस निर्देश के साथ कि वे नगर निगम प्रशासन से संपर्क कर परिसर सेनेटाइज कराने तथा विश्वविद्यालय स्तर पर परिसर के सेनेटाइजेशन कराये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करे।
10. कुलपति जी / कुलसचिव जी के निज सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)।

प्रभारी कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर